

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम, सुपौल

जमानत आवेदन सं० 108/2026

छातापुर थाना काण्ड सं० 464/2023

14/07/26

प्रार्थी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद में प्रार्थी अभियुक्त के वाद का दौरा सुपूर्द हो गया है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन को बिना चालित किये वापस लेना चाहता है।

अतः वापस लेने के कारण प्रस्तुत जमानत आवेदन निष्पादित किया जाता है।

ह०/—

(दिलीप कुमार सिंह)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम

सुपौल